न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

प्रकरण संख्या 04/18 तारीख रजू 26/11/2018

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री राजकंवर पुत्र श्री घनश्याम योगी जाति नाथ निवासी बसो कलां थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ठींगला थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर

––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 10/07/2024

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री राजकंवर पुत्र श्री घनश्याम योगी जाति नाथ निवासी बसो कलां थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ठींगला थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना मानटाउन मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है।

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	178/18	20/05/18	13 आरपीजोओ	90/18	24/05/18	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2.	208/18	11/06/18	13 आरपीजोओ	101/18	22/06/18	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित

उक्त पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए 100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल पुलिस थाना मानटाउन क्षेत्र का आदतन जुआ/सट्टा खेलने व खिलाने का आदि है तथा रूपयो पैंसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता हुआ कई बार पकडा गया है। जिसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 178/18 व 208/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के छ माह की समयावधि में दो बार दोष सिंद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैरसायल पुलिस थाना मानटाउन क्षेत्र का आदतन जुआ/सट्टा खेलने व खिलाने का आदि है तथा रूपयो पैंसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता हुआ कई बार पकडा गया है। जिसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। मुकदमा संख्या 178/18 व 208/18 आरपीजीएक्ट से सम्बन्धित है जो गुण्डा एक्ट की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि उक्त अपराध सिर्फ अर्थदण्ड से निस्तारित होते है। पुलिस ने गैरसायल के विरूद्व राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें गैरसायल को दो प्रकरणों में संबंधित न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की भावना से अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोषमुक्त किया गया है। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है। गैरसायल ने गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुंचा हु कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से ठीक पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल को दो मुकदमें में ही दोषसिद्व किया गया है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर